

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60151

दिनांक: 25.09.2018

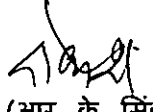
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50614

अपीलकर्ता : श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर नं. 404,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली - 110001.

निर्णय की तारीख: 25.09.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.08.2018, 17.08.2018, 21.08.2018, 14.08.2018 (टंकण चूक) 04.09.2018, 07.09.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री ए. के. शर्मा, श्री एच. पी. सेन, श्री सुशील कुमार, श्री कृष्ण अवतार तलवार,
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.09.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सात पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में बिंदु सं. 1, 6 एवं बिंदु सं. 7 के तहत प्रदान की गई सूचनाओं के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत सी.आर.-1 एवं सी.आर.-2 में कार्यरत कर्मियों को प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory leave) प्रदान किए जाने से संबंधित सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से अपीलकर्ता संतुष्ट नहीं हैं। इस संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री सुशील कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को बुलाया गया तथा उक्त दोनों जन सूचना अधिकारियों ने दलील दी की अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना केनरा बैंक बनाम सी. एस. श्याम एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश सं. CIVIL APPEAL No. 22 OF 2009 के आलोक में कर्मियों का निजी मामला प्रतीत होता है, अतः अपीलकर्ता को यह सूचना नहीं दी जा सकती। अधोहस्ताक्षरी उक्त दोनों जन सूचना अधिकारियों से सहमत हैं।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।